खुली निविदा सूचना

लीन दिवसीय किसान मंला 2022 दिनांक 28 से 30 मार्च, 2022 हेतु खाने की व्यवस्था हेतु खुली निविदा प्रपत्र www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। प्रपत्र दिनांक 21.03.2022 को प्रातः 10:30 बजे तक निदेशक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) से प्राप्त कर दिनांक 21.03.2022 को प्रातः 11:30 बजे तक स्वीकार किये जानेंगे एवं जो कथ समिति द्वारा दिनांक 21.03.2022 को साय: 03:30 बजे खोली जायेगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:
1. वित्त नियंत्रक, श्री क. न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. प्रमाणिक, श्री क. न. कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को ग्रेकर लेख है कि खुली निविदा प्रपत्र
   विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराएं।
3. संयोजक / सदस्य पर, निविदा समिति, प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोबनेर।
4. आहदत, एवं वितरण अधिकारी महोदय, प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोबनेर।
5. नोटिस बोर्ड, नगरपालिका जोबनेर।
निविदा फार्म

1. नाम/इजेसी का नाम
2. फार्म/इजेसी का पूरा पता
3. दुर्गा थाना कार्यालय घर
4. फार्म का संगठन (एकल या साझेदारी में)
5. आयकर (स्थाई खाता संख्या)
6. सामग्री एवं सेवा कर प्रमाण पत्र संख्या
7. बैंक का नाम
8. खाता संख्या
9. IFSC Code No.

निविदा की अनुमानित लागत: ₹. 07 लाख
निविदा प्राप्त पेड़ने की अतिम तारीख व समय: 21.03.2022 को प्रातः 10.30 बजे तक
निविदा प्राप्त पठन की कार्यालय नंबर: 21.03.2022 को प्रातः 11.30 बजे
निविदा खुलने की तारीख एवं समय: 21.03.2022 को साया: 03.30 बजे तक
निविदा प्राप्त की कीमत: ₹1000/- नकद/ DD/BC द्वारा
बोली प्रति नवलाख रु. 14000/- बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक नंबर: दिनांक

कार्यालय: प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोधपुर।

भेजे के बिना खाद्य पदार्थ की दरें तीन दिवस (28 से 30 मार्च, 2022) के लिए निम्नलिखित तालिकानुसार दें:

<table>
<thead>
<tr>
<th>SN</th>
<th>Name of item</th>
<th>Approx Quantity required for three days</th>
<th>Rate without GST (Per packet/plate)</th>
<th>GST%</th>
<th>GST in Rs</th>
<th>Total amount including GST in Rs</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Lunch Packet: 8 Puri+250 gm dry vegetable + one sweet in desi ghee with drinking water</td>
<td>6000</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Break fast for VIP: 50 gm almond, 50 gm Cashew nut and two sweet biscuit and seasonal fruits (250gm)</td>
<td>100</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Lunch for VIP: Two seasonal vegetable+Dal+Rice+ sweet+ papad+Roti with drinking water</td>
<td>300</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Tea(150ml)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Coffee(150ml)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

निविदाधारक के हस्ताक्षर गण मोहन
में के विभिन्न खाद्य पदार्थों की सप्लाई के लिए निर्धारित शर्तेंः

1. लिफाफा लं. 01 में विश्विय बिड के अंतरिक्ष अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज, संलग्न बोली प्रभावित राशि रु. 14000/- + नक्सा वेम्सेफर से निविदा प्रत्रत खाजगीलौड करने पर अवाग से निविदा प्रत्रत शुल्क रु. 1000/- का DD/BC निवेशशक, प्रसार शिक्षा निवेशशालय, जोबनेर (जयपुर) के पक्ष में लिफाफा लं. 01 में रखें।

2. लिफाफा लं. 02 में केवल विश्विय बिड बाल्य निविदावाला द्वारा दिये गये दर्हे रहेंगी तथा यह तभी खोजी जांगी यदि निविदावाला तकनीकी बिड में सफल रहता है।

3. दोनों लिफाफों (01 व 02) को एक लिफाफें में रखकर सील कर प्रस्तुत करना है।

4. निविदावाला को किसी भी प्रारंभ का कोई आग्रह भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यवाह/क्रयाधेश का कार्य संपूर्ण रूप से पूर्ण होने एवं प्रसार शिक्षा निवेशशालय में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही को जारी गाए।

5. निविदावाला निविदा कार्य तथा शर्तें के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर सहित हस्ताक्षर किया गया। निविदा का अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों का सम्पूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेंगा।

6. निविदा प्रजइ में किसी प्रकार की कोई चीज व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। कोई चीज एवं ओवर राइटिंग को पारा नर (जयपुर) को होगा।

7. किसी भी निविदा का स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार निवेशशक, प्रसार शिक्षा निवेशशालय, जोबनेर (जयपुर) को होगा।

8. सफल निविदावाला को 210000 कपयूटे का DD कार्य समाप्त अंतिम समय में देना होगा तथा 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र लिखवाना होगा।

9. निर्धारित समय में आयूपूर्ति नहीं करने पर राजस्तान लोक उपाध्याय में पारदर्शनिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्तान लोक उपाध्याय में पारदर्शनिता नियम, 2013 तथा राजस्तान के सामान्य विभिन्न एवं वेब नियमों और अन्य अनुसरणित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय वित्त (L.D.) की जाएगी।

10. क्रयाधेश/क्रयाधेश के संबंध में सामान्य आवश्यकताः निर्धारित।

11. सफल निविदावाला के पूर्ण संभ के अंतर्गत आधिकारिक संभ के सामान्य प्रदाय करने में असफल रहने पर अवधारणा क/कार्य संयोजनक नहीं करने पर निवेशशक, प्रसार शिक्षा निवेशशालय, जोबनेर (जयपुर) को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हरेक खर्च पर खर्चली सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आयूपूर्ति अन्य फर्म से करा सके। इसके साथ ही बोली प्रभावित एवं कार्य समाप्ति अंतिम (Performance security) जनता की जा सकेगी।

12. समस्त निविदा प्रजइ दिनांक 19.03.2022 को प्रातः10.30 बजे तक निवेशशक, प्रसार शिक्षा निवेशशालय, जोबनेर (जयपुर) से प्रातः किए जाएँगे दिनांक 19.03.2022 को प्रातः11.30 बजे तक स्वीकार किए जाएँगे एवं जो क्रय समिति द्वारा दिनांक 19.03.2022 को सायं: 03.30 बजे उपस्थित निविदावालों को सक्षम खोले जाएँगे। अपूर्व एवं निरचित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रजइ पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. उपयुक्त शर्तें के अंतरिक्ष अन्य शर्त निविदा सूचना राजस्तान लोक उपाध्याय में पारदर्शनिता अधिनियम, 2012, राजस्तान लोक उपाध्याय में पारदर्शनिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लिखित नियम--68 एवं वित्त विभाग, राजस्तान की अविस्मरणीय दिनांक 19.11. 2015 के प्राधिकारनुसार लागू होगी।

14. राजस्तान के बाहर की फर्मा तथा राजस्तान के भीतर की उन फर्मों, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्तान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित नियमों के अनुरूप
मूल्य अधिमान (Price preference) की हकदार नहीं है, द्वारा निविदा दरों की तुलना करने में, राजस्थान ब्रिक्टी कर/वैद्य की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केंद्रीय ब्रिक्टी कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात भारतीय व बाहरी फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में, भारतीय फर्म की दर से ब्रिक्टी कर/वैद्य को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केंद्रीय ब्रिक्टी कर को सम्मिलित किया जाएगा।

निर्माणित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिस्टेड फर्म राशि 2.50 से 10.00 प्रतिशत वसूली की जाएगी। यदि परिसमाप्ति क्षण के साथ सुपुर्दुगी की विविधता आदेशों में लिखित अवधि में बृक्ष्टि की हो तो प्राप्त हो नियमों द्वारा कर्मी के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:—

(क) विनियम सुपुर्दुगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के लिए 2.50

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक कितन आधी अवधि तक के लिए 5.00

(ग) आधी अवधि से अधिक कितन तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.50

(घ) विनियम सुपुर्दुगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के लिए 10.00

15. सफल निविदा दरा द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अध्यक्ष किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर निवेदक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोब्नर (जयपुर) को यह अद्वितीय होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति, धरोहर राशि (Performance Security, Earnest Money) आवश्यक या पूर्ण रूप से जबल की जा सकती है।

16. निविदादाता को यह लिखा कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबंध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विवाद, निर्णय, बोर्ड, अथवा विश्लेषक जनसंख्या आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही निवेदक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, हाल करण दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्राप्त प्रत्यक्ष 'डी' भी संलग्न करना होगा।

17. किसी राजकीय विवाद अथवा उपक्रम द्वारा लेखा लिस्टेड फीस निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपनी जारी प्रत्यक्ष 'संलग्न' है। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को हित करते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोर्ड प्रतिभूति (Bid security) कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब करते हुए आपातकालिक प्रक्रिया दर्श करवाया जा सकता है।

18. निर्माणित प्रत्यक्ष के साथ फर्म का पहचान पत्र, PAN, GST Registration No., FSSAI/Govt. license no. आदि की छायाप्रतियों अवधि संलग्न करें।

19. यदि प्रत्यक्ष डाउनलोड करके लिखा गया तब रूपरेखा 1000 का DD/BC द्वारा निवेदक, प्रसार शिक्षा निदेशालय, जोब्नर (जयपुर) अलग से लिखाता नं. 01 में, प्रतिभूति राशि से अलग देना होगा।

20. प्रत्यक्ष के साथ बोर्ड प्रतिभूति राशि का DD/BC संलग्न करें, इसके अतिरिक्त में निविदा अवधि की जारी होगी।

21. फर्म के सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों पर रेखांकन के हस्ताक्षर करने होगा।

22. सफल निविदादाता को रू. 1000.00 के स्टैंड में पेपर पर अनुबंध कराना अनिवार्य होगा, जिसका खाली सफल निविदादाता को वहन करना होगा।

23. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय धरोहरों का सूचार — बोर्ड मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सार्वजनिक रूप से प्रस्तुतपत्र बोलियों में अंकगणितीय धरोहरों का सूचार करेंगी, अर्थात् —

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विस्माद हो तो इकाई मूल्य अभिविवाद होगा और कुल मूल्य में सूचार किया जायेगा, जब तक तक कि होल मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु
24. सर्वनिश्चित सहीता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति –
(क) उपापन प्रक्रिया में अनुशंसा फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की प्रवर्तक एवं किसी रिश्ता, इन्हा या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तालिका या फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
(ख) सुनवाना का ऐसा दुर्भाग्यदर्पण या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिव्यक्ति करने के लिए या किसी वातावरण से प्रभावित रहने के लिए गुप्तरह करता हो या गुप्तरह करने का प्रयास करता हो।
(ग) उपापन प्रक्रिया का प्रत्येक नियम, नियमात्मक या प्रतिनिधित्व का वाळगत करने के लिए किसी भी उद्योगी, व्यवसायी, मूल्य, वृद्धि या वित्तीय आवश्यकता में लिपि नहीं होगा।
(घ) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अव्यवस्था या लेखापत्रों के बाद नहीं बालगो।
(ङ) हित की विरेण्य, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
(च) वित्त या वातावरण के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमसंगठन को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

25. हित का विरोध –
(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्यकर्ताओं और बोली लगाने तथा अन्य कार्यों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति का नाम गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदाधिकारों, संविधान के पालन, या लागू विधियों और नियमों के अनुपालन को अनुभूत रूप से प्रभावित कर सकता हो।
(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्यकर्ताओं के विरोध में समझौता जारी किया, निम्नलिखित संमालित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं हैं: –
(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्यकर्ता का निष्क्रिय हित, जैसे कि बाहुल्य वृद्धि या अन्य संरचना या व्यवसाय वित्तीय आवश्यकता, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृद्धि कुल्खों या बाध्यताओं का सम्मूच ऐतिहासक करते हों या हस्तक्षेप करते हों या उत्साहक होते हों।
(ख) उपापन पदाधिकार जैसे उपापन संस्था के किसी कार्यकर्ता का ऐसा निष्क्रिय हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तियों से विनियोजन और आवाचित, जन्मात्मक या अन्य बाहुल्य क्रिया कराना और सम्भाव्यता, उपापन संस्था की सेवा से विनियोजन के पश्चात् नियोजन या उपापन की प्राप्ति, जो उसे बाह्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध
उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विषेष में उपाध्य संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आवश्यकताओं सहित आवश्यकताओं का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपाध्य संस्था के कार्यपालक या पददार्शी कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना समझित नहीं है जिसका उपाध्य संस्था का कार्यकाल पश्चात लेना है।

(घ) हित का विषेष ऐसी स्थितियों में भी उत्तम हो सकता है जहा उपाध्य संस्था का कार्यकाल पश्चात लेना अथवा निर्यात उपलब्ध से, कृत्य, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति को उपाध्य संस्था के कार्यकाल की तालिकाओं या विनिमय से फायदा पहुँचाने हेतु देखा जाता है या उन्हें उपाध्य संस्था करता है।

(ङ) कोई भौली लगाने वाला किसी उपाध्य प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विषेष में माना जाएगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां समझित हैं किंतु इन तक सीमित नहीं हैं यदि—

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।

(ख) वे उनमें से किसी से, किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायतिक प्राप्त करते हैं या प्राप्त की हैं।

(ग) उनका उस भौली के प्रत्यक्ष कोशियों के लिए एक ही विभिन्न प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान व्यक्तिय में वर्णित एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की भौली के बारे में सूचना तक पहुँचाने या दूसरे की भौली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई भौली लगाने वाला एक ही भौली प्रक्रिया में एक से अधिक भौली में भाग लेता है।

(ख) जब एक ही उपसन्धिदेश तथा एक से अधिक भौली में समझित होने से सीमित नहीं करता है जो भौली लगाने वाले के रूप में अन्यभा भाग नहीं लेता है।

(च) भौली लगाने वाले अथवा सहबद्ध किसी व्यक्तियों ने भौली प्रक्रिया के उपाध्य की विषयवस्तु के विषारण या तकनीकी विनिमयों को तैयार करने में सहायता करके प्राप्त रूप में भाग लिया है। सभी भौली लगाने वाले भागीदार कस्टों और भौली प्रक्रिया में यह विवरण उपलब्ध करायेगे कि भौली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपाध्य की विषयवस्तु के लिए विषारण, विनिमय और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबंध है और नहीं संबंध रखा है या संबंधित के लिए परिभाषित प्रबंधक के रूप में प्रतिस्पर्धित किया जा रहा है।

26. उपाध्य प्रक्रिया के दौरान शिकायत का निष्काशन – प्रथम अपील अधिकारिक मानवीय कुलविधि, श्री कर्न नरेंद्र कृष्ण विषयविद्यालय, जोधपुर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील अधिकारिक प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृष्ण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विषयविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारिक होगी।

1 अपील— (१) राजस्थान लोक उपाध्य में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अनुसार लाते हैं, यदि कोई भौली लगाने वाला या भारी भौली लगाने वाला इस बात से व्यक्त है कि उपाध्य संस्था का कोई संज्ञान, कार्यवाही या लोग इस अधिनियम या इसके अधिकार जारी निदेशों या मार्गदर्शन उपनिवेश तत्वों के उल्लंघन में है तो वह उपाध्य संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रस्तावनें के लिए प्रभावित किया जाये, विनिर्दिशित आदेश, जिस पर या जिस पर वह व्यक्त है, स्पष्ट रूप से देते हैं। ऐसे विनिमय का कार्यवाही या, यथास्थिति, लोग की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूरी-अर्धता दस्तावेजों, भौली लगाने वाले के रजिस्टरकरण दस्तावेजों या भौली दस्तावेजों में विनिर्दिश की जाये, के भीतर संलग्न प्राप्त (प्रम्भ—‘प’) में अपील दाखिल कर सकेगा।
परन्तु बोली लगाने वाले के सक्ति होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकती जिससे उपाध्यक्ष कार्यालयों में भाग लिया है।

परन्तु यह और जैसे ऐसी दस्तावेज में, जहाँ उपाध्यक्ष संस्था विद्वान बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ विद्वान बोली के शामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकती जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार हो न वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अर्थव्यवस्था अपील की प्राथमिक पर उक्त उप-धारा के अर्थव्यवस्था पदाधिकृत पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यह अथवाप्रमाणित करना कि उपाध्यक्ष संस्था ने इस अधिनियम, इसके अर्थव्यवस्था गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपरबंधों और पूर्व-अर्थकों के दस्तावेजों, में बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थितिः, बोली दस्तावेजों के निम्नबंधों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अर्थव्यवस्था अवदेश के अध्यक्षों रहेते हुए अंतिम होंगा और अपील के पक्षकारों पर व्याख्यानी होगा।

(3) अधिकारी, जिनके समक्ष उप-धारा (1) के अर्थव्यवस्था अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्मान शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अर्थव्यवस्था पदाधिकृत अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवसर के भीतर उक्त उप-धारा के अर्थव्यवस्था अपील को निपटाने में असक्त हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भाव बोली लगाने वाला या उपाध्यक्ष संस्था उप-धारा (2) के अर्थव्यवस्था आदेश से व्यक्त है तो बोली लगाने वाला या भाव बोली लगाने वाला या, यथास्थितिः, उपाध्यक्ष संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवसर के अवसान से या, यथास्थितिः, उप-धारा (2) के अर्थव्यवस्था आदेश के प्राधिकृत की तारीख से पन्हत्र दिनों के भीतर जरुरत सरकार द्वारा इस निनिर्दिष्ट पदाधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकृत को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अर्थव्यवस्था अपील की प्राथमिक पर उक्त उप-धारा के अर्थव्यवस्था पदाधिकृत अधिकारी या प्राधिकृत पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात यह अथवाप्रमाणित करना कि वह उपाध्यक्ष संस्था ने इस अधिनियम, इसके अर्थव्यवस्था गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपरबंधों और पूर्व-अर्थकों के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थितिः, बोली दस्तावेजों के निम्नबंधों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होंगा और अपील के पक्षकारों पर व्याख्यानी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकृत किसी समक्ष अपील उप-धारा (4) के अर्थव्यवस्था अपील की गई है, यथा-सम्मान शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकृत, जिनके समक्ष उप-धारा (4) के अर्थव्यवस्था अपील दाखिल की गई है, पुर्वांश अवज्ञा के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ हता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकृत, जिनके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अर्थव्यवस्था अपील दाखिल की जा सकने को, पूर्व-अर्थकों के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थितिः, बोली दस्तावेजों में उपद्वितित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अर्थव्यवस्था प्राधिकृत अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होंगी और उसके साथ ऐसी कीस होंगी जो विनिर्दिष्ट की जाएँ।
प्रत्येक अपील प्रथम अपील राज्य लोक उपाधियों के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया—नियमों का अनुसरण करेगा जो विहिंत किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सूचना हितों के संरक्षण का न्याय करेगी जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अर्जित अपील वाली या अन्य लोगों ने लगाया या दाखिल संक्षेपी व्यवस्था संबंधी तत्त्वों पर प्रतिकूल प्रमाण दाखिल की, इस धारा के मूल तस्वीर की विशेष रूप से प्रतिकूल प्रमाण दाखिलें, इस धारा के मूल तस्वीर की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्रयोग — (1) राजस्थान लोक उपाधियों में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रयोग (प्रत्येक 'व' 'त') में उत्तरी तत्त्वों के साथ होगी जितने के अपील में तत्त्वों हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विनियम अपील की गई है, यदि कोई हो, अपील में कामिनी तत्त्वों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस का संदर्भ के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील अधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील अधिकारी को व्यक्तित्व: या रजिस्ट्रेशन डाक हो या प्राधिकृत प्रतियोगिता के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. अपील फाइल करने के लिए फीस — (1) प्रथम अपील के लिए फीस वह दर हज़ार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हज़ार रुपये होगी जो अपरिवेशये होगी।

(2) फीस का संदर्भ किसी अनिश्चित बैंक के बैंक मांडेदेज टूटता या बैंकर बैंक के रूप में किया जा सकेगा जो संबंधित अपील अधिकारी के नाम देख होगा।

4. अपील के निदर्शन के प्रक्रिया — (1) प्रथम अपील अधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील अधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रतियोगिता को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियम करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियम तारीख को प्रथम अपील अधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील अधिकारी या,

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षाधिकारों को सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अपवेशन या विशेषण करेगा।

(3) पक्षाधिकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अपवेशन या विशेषण के प्रस्ताव, संबंधित अपील अधिकारी विशेषपत्र में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षाधिकारों को उत्तर आदेश की प्रति निश्चित उपलब्ध करेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपाधियों पोर्टल पर भी दर्शित किया जा सकेगा।

27. किसी भी निर्देश को स्वीकार या अवस्थापन करने का पूर्व अधिकार निर्देश, प्रसार शिखा निर्देशालय, जोधपुर (जयपुर) को होगा।

28. यदि यदि उत्तर नियम होने के स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

निर्देशालय, प्रसार शिखा निर्देशालय

मैने/हमने उपयुक्त सभी शतां राजस्थान से साक्षात नौकरी पढ़ लिया है एवं सम्मान लिया है तथा मैं/हम उपयुक्त सभी चरणों से प्रतिभादित रहा/रहने।

निर्देशालय के हस्ताक्षर मय मोहर
निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम जिन मालों/सामग्री/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिमयता/शोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रेता/विपणन एजेंट हैं/है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिमूर्ति को पूर्ण रूप से जल्द (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालय की जहाँं कहीं भी भोजन सप्लाई का कार्य किया है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कंपनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लभित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने भोजन सप्ताह का कार्य जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबंध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अथवा स्वायत्तशासी संस्था आदि को भोजन सप्ताह आपूर्ति की जाती है तो तदनुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
Form No.1 (See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .................. of ......................

Before the .......................................... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of the appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official Address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (s):
   (i)  
   (ii)  
   (iii)  

3. Number and date of the order appealed and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

4. If the appellant proposes to be represented by a representative the name and postal address of the representative.

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.

6. Ground of appeal ...................................(supported by an affidavit)

7. Prayer ..............................................

Place : .................................. Date: .................................. 

Appellant's Signature